

प्रारूप-21ग

नियम 64 देखिये

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

38-श्रीनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि-

(डॉ) धन सिंह रावत, ग्राम - नौगांव, पो0ओ0, डुंगरीखाल पट्टी कण्डारस्यूँ जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान-पौड़ी

तारीख-10.03.2022

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग ऑफिसर

RETURNING OFFICER
38-SRINAGAR
ASSEMBLY CONSTITUENCY
(SDM SRINAGAR)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** State From **38-Srinagar** Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions Contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 Read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules 1961, I declare that-

(Dr) Dhan Singh Rawat

Village - Naugaun, P.O. Dungkhal Patti Kandarsyun, Pauri Garhwal Uttarakhand sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:- Pauri

Date:- 10/03/2022

Signature.....

Returning Officer.

RETURNING OFFICER
38 SRINAGAR
ASSEMBLY CONSTITUENCY
(SDM SRINAGAR)